ई-मेल/
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-BDGT_F/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।
***द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक-

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के नगर परिषद, गोगरी जमालपुर में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत नगर प्रबंधकों का मानदेय भुगतान हेतु कुल रू० 220000.00 (दो लाख बीस हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः- **स्वीकृत।**

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में माँग सं०-48-नगर विकास एवं आवास विभाग, के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष-0008-नगर प्रबंधकों हेतु, विपत्र कोड-48-2217-80-192-0008, विषय शीर्ष-0008-31-04 सहायक अनुदान-वेतन मद के अंतर्गत राज्य के नगर परिषद, गोगरी जमालपुर में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत नगर प्रबंधकों का मानदेय भुगतान हेतु रू० 220000.00 (दो लाख बीस हजार रूपये) मात्र निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

(राशि रूपये में)

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	नगर प्रबंधक (संविदा) के वेतनादि हेतु कुल स्वीकृत की जाने वाली राशि (मार्च, 2026 से जून, 2026 तक)	पी०एल० खाता	HOA संख्या
1	2	3	4	5
1	नगर परिषद, गोगरी जमालपुर	220000.00	KGRPLA004	00.8448.00.102.0002.00.01
	कुल	**220000.00**		

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि रू० 220000.00 (दो लाख बीस हजार रूपये) मात्र ।

2. **विभागीय आदेश सं०-1335, दिनांक-27.02.2017 द्वारा नगर प्रबंधकों के मासिक मानदेय को 30,300.00 (तीस हजार तीन सौ रु०) से बढ़ाकर 32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सत्तर रु०) किया गया था एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०-89-सह-पठित ज्ञापांक-1084, दिनांक-13.02.2019 द्वारा नगर प्रबंधकों का मासिक मानदेय 32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सत्तर रु०) से बढ़ाकर 40,000.00 (चालीस हजार रु०) किया गया था एवं विभागीय आदेश सं०-631, दिनांक-10.03.2022 द्वारा नगर प्रबंधकों का 50,000.00 रू० (पचास हजार रू०) किया गया था तथा विभागीय आदेश सं०-1199, दिनांक-20.08.2024 के आलोक में प्रति माह 55,000.00 (पचपन हजार रू०) बढ़े हुए दर से मानदेय का भुगतान 20 अगस्त, 2024 से किया जा रहा है।**

3. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-03 में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर परिषदों के के PL खाता CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ङ) के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC-42A फार्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि रू० 220000.00 (दो लाख बीस हजार रूपये) मात्र की निकासी माँग सं०-48-नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष-0008-नगर प्रबंधकों हेतु, विपत्र कोड-48-2217-80-192-0008, विषय शीर्ष-0008-31-04 सहायक अनुदान-वेतन मद से की जायेगी।

7. राशि की निकासी एवं व्यय का अनुपालन प्रतिवेदन अथवा प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2027 तक अनिवार्य रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त करा देना होगा।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति e-संचिका संख्या-BDGT_F/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT के Note No-35 पर दिनांक-23/07/2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note No-38 पर दिनांक-24/07/2026 को प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- BDGT_F/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT 118 .... न०वि०एवं आ० वि०/पटना, दिनांक-27.7.26

प्रतिलिपिः- संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/कार्यपालक पदाधिकारी/नगर प्रबंधक, संबंधित नगर परिषद्/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई0 मेल करने एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

सरकार के संयुक्त सचिव।